न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 17/22 (225)

आरसीएमएस संख्या – 2022/38

उनवान

1. धर्म सिंह उम्र 69 साल पुत्र श्री नानगा जाति माली निवासी दिगम्बर जैन मंदिर की बगल में चॉदपोल गेट के पास चक नं0 2 भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. लोकेन्द्र कुमार उम्र 59 साल पुत्र स्व0 श्री भगवत प्रसाद तेंगुरिया जाति ब्राहम्ण निवासी कमला रोड कुम्हेर गेट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 07.03.2022 प्रकरण संख्या 44/20 उनवान धर्म सिंह बनाम लोकेन्द्र कुमार।

उपस्थित :–

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री दिनेश शर्मा अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय **दिनांक :–20.02.2024**

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के आदेश दिनांक 07.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी किता 8 रकवा 67 एयर वाके कस्बा भरतपुर चक नं0 2 तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है। जमाबन्दी अनुसार कुन्दनलाल, पॉची देवी पत्नी श्री भगवतप्रसाद, रामसिंह, विजय सिंह पुत्र श्री भगवत सिंह, हरेन्द्रपाल पुत्र श्री अर्जुन सिंह प्रत्येक 1/15 हिस्से के खातेदार हैं। प्रार्थी/अपीलाण्ट 1/3 हिस्सा, हरप्रसाद 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। हरप्रसाद की मृत्यु हो चुकी है। हरप्रसाद का विवादित आराजी में 50 सालो से कोई कब्जा नहीं है और वह भुसावर में अपने परिवार सहित निवास करता था। विवादित आराजी पर प्रार्थी अपीलाण्ट एवं भगवतप्रसाद के वारिसान काबिज हैं। अप्रार्थी रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं हैं एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। परन्तु वह ताकत के बल पर विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। विवादित आराजी पूर्व में नानगा की खातेदारी की आराजी थी। नानगा के तीन पुत्र अपीलाण्ट, हरप्रसाद व भगवत हुये। हरप्रसाद ने बॅटवारे का दावा किया। जिसमें पुत्रियो को पक्षकार मुकदमा बनाने के आदेश हुआ एवं पुत्रियो को पक्षकार मुकदमा बनाने बाबत् विचाराधीन था। परन्तु विचाराधीन रहते एक पक्षीय डिक्री रैस्पो0 ने हरप्रसाद के वारिसान के खिलाफ प्राप्त कर ली। उक्त तथ्य की जानकारी होते हुये भी धर्म सिंह ने दावा कर दिया एवं रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जबकि हरप्रसाद 50 साल पहले ही गॉव छोडकर ससुराल चला गया था। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट काबिज हैं व मकानात बने हुये हैं। रैस्पो0 के नाम सिविल कोर्ट से हरप्रसाद की भूमि पर आ गये। जबकि हरप्रसाद 1/3 का हिस्सेदार नहीं था उनकी पॉच पुत्रियॉ भी थी। रैस्पो0 ने सिविल न्यायालय से फर्जी डिक्री प्राप्त कर ली जिस पर अपर न्यायालय से स्थगन है एवं कार्यवाही चल रही है। सिविल न्यायालय के आधार पर ही प्रथम दृष्टया मामला अधीनस्थ न्यायालय ने माना है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 कभी भी काबिज नहीं रहा। सिविल कोर्ट ने इकरारनामा के आधार पर वयनामा कराया जो कि गलत है। क्योंकि हरप्रसाद स्वयं ही विवादित आराजी पर काबिज नहीं था। रैस्पो0 का दावा अभी तक विचाराधीन है। पहले न्यायालय हाजा से लडकियो को पक्षकार मुकदमा बनाने के आदेश हुये हैं। अपर जिला न्यायालय ने विवदित आराजी के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। अतः रिकार्ड की यथास्थिति के लिये पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। नानगा की तीन पुत्र थे एवं विवादित आराजी में 1/3–1/3 के खातेदार काश्तकार थे। हरप्रसाद ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा किया। दूसरा दावा अपीलाण्ट ने किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा खारिज किया एवं हरप्रसाद का दावा डिक्री हुआ। अपीलाण्ट ने सारे तथ्य उक्त दावे में उठाये। दोनों दावो की अपील न्यायालय हाजा में हुयी। अपीलाण्ट की अपील खारिज हुयी एवं हरप्रसाद की अपील रिमाण्ड हुयी। रिमाण्ड हुआ दावा अभी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। दूसरा दावा रैस्पो ने अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 188 का पेश किया। जिसमें भगवत के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया। हरप्रसाद ने रैस्पो0 को इकरारनामा किया अपने 1/3 हिस्से का उक्त इकरारनामा की पालना नहीं होने पर सिविल कोर्ट में दावा किया जो डिक्री हुआ एवं सिविल कोर्ट के आदेश से वयनामा के आदेश हुये। वयनामे के बाद धारा 188 का दावा किया। पूर्व दावे में भी धारा 188 का अनुतोष चाहा था। जिसके साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अपीलाधीन आदेश से खारिज हुआ। न्यायालय हाजा से भी अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पूर्व में दिनांक 01.04.2022 से खारिज हो चुका है। आज की तिथि में विवादित आराजी में रैस्पो0 सहखातेदार हैं। अपीलाण्ट ने हरप्रसाद व भगवत के सभी वारिंसान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। एक सहखातेदार दूसरे

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सहखातेदार को पाबन्द नहीं करा सकता। विवादित आराजी पर यदि एक सहखातेदार का कब्जा है तो सभी सहखातेदारो का कब्जा माना जावेगा। अपीलाण्ट का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा सुरक्षित है उससे रैस्पो0 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। लडकियो का हिस्सा अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावे में तय होगा। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2019 पेज 777, आरबीजे 2010 पेज 649 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि अपीलाण्ट ने पूर्व में एक दावा विवादित आराजी बाबत् उनवानी हरीप्रसाद पुत्र नानगा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.03.2008 से खारिज हुआ। जिसकी अपील भी न्यायालय हाजा से दिनांक 13.11.2014 को खारिज हो चुकी है। अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा के उक्त आदेश की अपील प्रस्तुत की गयी हो। ऐसा भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। लिहाजा न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 13.11.2014 अन्तिम निर्णय है। रैस्पो0 के पक्ष में वयनामा दीवानी न्यायालय के आदेश दिनांक 31.03.2016 की पालना में दिनांक 06.03.2020 को पंजीबद्ध हुआ है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0 के पक्ष में साबित होती हो। यदि रैस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तो उन्हें अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में रैस्पो0 विवादित आराजी में अपीलाण्ट के साथ सहखातेदार हैं एवं वैसे भी एक सहखातेदार, दूसरे सहखातेदार को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं कराने का प्रावधान है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर का आदेश दिनांक 07.03.2022 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.02.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर